वाद पत्र–बदरी बनाम तहसीलदार 56/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला, टोंक
(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0––56/2020

प्रविष्टि दिनांक ––25.6.2020

उनवान

बद्री पुत्र रामरख जाति जाट निवासी ग्राम किंवाडा तहसील निवाई जिला टोंक,राजस्थान प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला टोंक अप्रार्थी

उपस्थित–1. श्री कौशल किशोर जाट–वकील प्रार्थी
श्री .....–वकील पैरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थनापत्र पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

दिनांक– 20/1/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थी की आराजी ख.न. 328 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम किंवाडा तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी के पिता रामरख का फोती का नामान्तरकरण सं0 263 दिनांक 28.1.1983 कैम्प किंवाडा मे तस्दीक किया गया था। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय राजस्व कर्मचारियो की लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी के भाई बद्री व श्योजी का नाम तो अंकित कर दिया लेकिन प्रार्थी का नाम सहवन से जमाबंदी मे अंकित होने से रह गया। जबकि नामान्तरकरण मे प्रार्थी का नाम अंकित है। अतः उक्त आराजी मे प्रार्थी का नाम अंकित किया जावे।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नामान्तरकरण सं0 263 दिनांक 28.1.1983 ,जमाबंदी संवत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, जिसमे अंकितानुसार मुताबिक खसरा नंबर 328 रकबा 0.06 बीघा वाके ग्राम किंवाडा की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता सं0 79 मे वादी का नाम दर्ज रिकार्ड नही है मात्र प्रार्थी के भाई श्योजी पुत्र रामरख दर्ज है। प्रार्थी के पिता रामरख पुत्र भूरा की विरासत का नामान्तरकरण सं0 263 दिनांक 28.1.1983 को कैंप किंवाडा मे दर्ज एवं स्वीकृत किया गया था उक्त नामान्तरकरण मे वाद दर्शायी गई आराजी खसरा नंबर का भी उल्लेख था और उक्त स्वीकृतशुदा नामान्तरकरण का अमल दरामद भी राजस्व रिकार्ड मे हुआ है लेकिन इसी नामान्तरकरण मे वाद पत्र मे दर्शाये गये खसरा नंबर 328 मे वादी बद्री पुत्र रामरख का नाम त्रुटिवश नही जोडा गया। मात्र उसके भाई श्योजी पुत्र रामरख का नाम है। जबकि नियमानुसार प्रार्थी का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। अतः उक्त भूमि मे प्रार्थी का नाम अंकित किया जाना उचित है। पैरोकार सरकार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ नकल नामान्तरकरण, नकल जमाबंदी संवत 2043–2046 व 2071–74 प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत साक्ष्यो का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण मे रामरख की विरासत मे बद्री श्योजी पि. रामरख अंकित है। जबकि जमाबंदी संवत 2071–74 अनुसार प्रार्थी वादी के भाई श्योजी का नाम ही अंकित है। इस त्रुटि को पैरोकार सरकार की रिपोर्ट मे भी स्वीकार किया गया है। तहसीलदार निवाई द्वारा अंकित किया गया है कि प्रार्थी के पिता

रामरख पुत्र भूरा की विरासत का नामान्तरकरण सं0 263 दिनांक 28.1.1983 को कैंप किंवाडा मे स्वीकृत किया गया था लेकिन नामान्तरकरण मे खसरा नंबर 328 मे प्रार्थी बदी पुत्र रामरख का नाम अंकित है लेकिन जमाबंदी मे त्रुटिवश नही जोडा गया। मात्र उसके भाई श्योजी पुत्र रामरख का नाम है। जबकि नियमानुसार प्रार्थी का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। अतः उक्त भूमि मे प्रार्थी का नाम अंकित किया जाना उचित है, इस प्रकार तहसीलदार द्वारा भी त्रुटि मानकर, दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। चूंकि विवादित आराजी की किस्म गै.मु. चाह है जिसमे अनेक सहखातेदार है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि है संभवतः सहखातेदारो की अधिकता के कारण उक्त खाते मे विरासत का नामान्तरकरण का अमल करते समय प्रार्थी का नाम त्रुटिवश इन्द्राज होने से रह गया। पत्रावली पर उपलब्ध आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि से प्रार्थी रामरख का पुत्र होना साबित होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं पैरोकार सरकार की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार **निवाई** को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम किंवाडा तहसील निवाई जिला टोंक की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता सं0 79 मे अंकित आराजी ख.न. 328 रकबा 6 बिस्वा मे प्रार्थी बदी पुत्र रामरख का नाम अंकित कर, राजस्व रिकार्ड मे शुद्धि की जावे तथा, उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक** 20/1/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई